

11.01.2017

राज्य द्वारा ए.डी.पी.ओ. उप0।

आरोपीगण सहित श्री अनिल तिवारी अधि0
उप0।

प्रकरण राजीनामा/अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत
है।

प्रकरण में नाबालिक फरियादी दीपक की ओर से
उसके पिता सीताराम व आरोपी से माध्यस्थम एवं सुलह
कार्यवाही के संबंध में बताया जाकर इसके लाभ के बारे
में बताए जाने पर उभयपक्ष द्वारा यह व्यक्त किया कि वे
सुलह वार्ता करने हेतु तैयार हैं।

अतः उभयपक्ष की सहमति से प्रकरण में
माध्यस्थम कार्यवाही संपादित कराने हेतु **श्री जफर
इकबाल, जे.एम.एफ.सी** चंदेरी जिला अशोकनगर के
न्यायालय में पृथक से रेफरल ऑर्डर प्रेषित किया जावे
तथा इसकी एक सूचना जिला विधिक सेवा
प्राधिकरण को भेजी जावे।

उभयपक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वे
स्वयं/ अपने अधिवक्ताओं सहित संबंधित न्यायालय में
माध्यस्थम की चर्चा हेतु उपस्थित रहें।

प्रकरण माध्यस्थम रिपोर्ट प्राप्ति हेतु कुछ देर
पश्चात पेश हो।

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

पुनश्च:

उभयपक्ष पूर्ववत्।

संबंधित न्यायालय से माध्यस्थम रिपोर्ट प्राप्त।
रिपोर्ट के अनुसार उभयपक्ष के मध्य माध्यस्थम व सुलह
की कार्यवाही सफल हुई हैं।

इसी प्रक्रम पर नाबालिक फरियादी दीपक की
ओर से उसके पिता सीताराम द्वारा एक राजीनामा
आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 320(4) द0प्र0स0 तथा
फरियादी/आहत की ओर से उसके पिता सीताराम व
आरोपीगण द्वारा संयुक्त रूप से एक राजीनामा आवेदन
पत्र अंतर्गत धारा 320(8) द0प्र0स0 प्रस्तुत कर व्यक्त
किया कि उभयपक्ष आपस में हिल-मिलकर रहना चाहते
हैं व भविष्य में उभयपक्ष के मध्य मधुर संबंध बने रहे,
इसलिये बिना किसी डर, भय, दबाव लालच के
स्वेच्छयापूर्वक राजीनामा हो गया है। अतः राजीनामा
स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

आवेदन पत्र पर सुना गया।

अभिलेख का अवलोकन किया गया।

अभिलेख से प्रकट है कि आरोपी पर भा.द.स. की धारा 323/34 दोबार, 325/34 अंतर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है, जिसमें से धारा 323/34 दोबार भा0द0वि0 न्यायालय की अनुज्ञा के बिना शमनीय है एवं धारा 325/34 न्यायालय की अनुज्ञा से शमनीय है। नाबालिक फरियादी दीपक की ओर से उसके पिता सीताराम ने बताया कि आरोपीगण शानू, शब्बीर से उसका राजीनामा हो गया। अब उसके मध्य कोई विवाद शेष नहीं है। उनके मध्य मधुर संबंध हो गये हैं। राजीनामा उसने स्वेच्छा, बिना किसी भय, दबाव, लोभ या लालच के किया है। आरोपीगण के विरुद्ध पूर्व दोषसिद्ध का तथ्य अभिलेख पर नहीं है तथा राजीनामा विधि के प्रतिकूल नहीं है। नाबालिक फरियादी दीपक की ओर से उसके पिता सीताराम एवं आरोपी की पहचान श्री अनिल तिवारी अधि. ने की।

अतः आवेदन पत्र स्वीकार कर धारा 323/34 दोबार, 325/34 भा.द.स. के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के शमन की अनुमति प्रदान की जाती है। राजीनामे के आधार पर आरोपीगण **शानू उर्फ सोनू पुत्र शहीद उम्र 22 साल, शब्बीर पुत्र मजीद उम्र 25 साल निवासीगण हाटकापुरा चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0** को भा0द0स0 की धारा 323/34 दोबार, 325/34 के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

प्रकरण के निराकरण हेतु कोई मुद्देमाल विद्यमान नहीं है।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेख विहित समयावधि में अभिलेखागार भेजा जावे।

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0